रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 1975/माघ 4, 1896
No. 36] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 1975/MAGHA 4, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January 1975

S.O. 52(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Irrigation No. S.O. 743(E), dated the 31st December, 1974, the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by section 3 of the said Act to make orders under Clauses (c), (d), (f), (h), (i) and (j) of sub-section (2) of that Section shall, in relation to the cattle fodder of any of the varieties specified in the Schedule hereto annexed be exercisable also by the Collectors of Ahmedabad, Amreli, Kutch, Kaira, Gandhinagar, Jamnagar, Junagadh, Dangs, Panchumahals, Banaskantha, Broach, Bhavnagar, Mehsana, Rajkot, Baroda, Sabarkantha, Surendranagar, Surat and Bulsar districts of Gujarat State in their respective districts upto the 31st March, 1975.

THE SCHEDULE

Varieties of Cattle Fodder

(i) Hay,
(ii) Grass,
(iii) Chara,
(iv) Paddy straw,
(v) Bhusa,
(vi) Chuni,
(vii) Guvar,
(viii) Kadabi,
(ix) Karab and Karabi.

[No. 32-1/74-LDIII]
I. J. NAIDU, Addl. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1975

का० आ० 52 (अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय की दिनांक 31 दिसम्बर, 1974 की अधिसूचना संख्या का० आ० 743(ई) का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा इस धारा की उप-धारा (2) के खण्ड (ग), (घ), (च), (ज), (झ) और (ञ) के अधीन आदेश देने के लिए उसकी प्रदत्त शक्तियों इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी किस्म के पशु चारे के सम्बन्ध में गुजरात राज्य के अहमदाबाद, अमरेली, कच्छ, कैरा, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़, डांग, पंचमहल, बनासकांथा, बड़ौच, भावनगर, मेहसाना, राजकोट, बड़ौदा, साबरकांथा, सुरेन्द्रनगर, सूरत तथा वलसर जिलों के कलक्टरों द्वारा भी अपने जिलों में 31 मार्च, 1975 तक प्रयोक्तव्य होगी ।

अनुसूची

पशुचारे की किस्में

(1) सूखी घास
(2) घास
(3) चारा
(4) धान का पुआल
(5) भूसा
(6) चूनी
(7) ग्वार
(8) कदवी
(9) करब और करबी

[सं० 32-1/74-एन० डी० 3]

आई० जे० नायडू, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975